अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन

विधान (संशोधित : २६ दिसम्बर ९८)

१. **नाम**-इस संस्था का नाम 'अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन' होगा, और यह अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा की एक इकाई के रूप में, उसके अन्तर्गत ही कार्य करेगा।

२. **कार्यक्षेत्र**-इस संगठन का कार्यक्षेत्र भारतवर्ष एवं अन्य क्षेत्र जहाँ माहेश्वरी परिवार निवास करते हैं, होगा।

३. **सिद्धान्त**-संगठन, सहयोग सेवा, संकल्प, संस्कृति, संयम, समर्पण, सादगी, अनुशासन व सुधार मुख्य सिद्धान्त होंगे।

४. **उद्देश्य**-उपरोक्त सिद्धान्तों का माहेश्वरी युवक-युवतियों में प्रचार-प्रसार करके पालन करना तथा समस्त भारतवासियों की प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण के साथ माहेश्वरी समाज की समयानुकूल सर्वांगीण उन्नति करना, जिससे माहेश्वरी समाज राष्ट्र का एक प्रगतिशील घटक बना रहे।

५. **सिद्धान्त व उद्देश्य की पूर्ति के साधन -**

(क) उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शिक्षा प्रसार, आर्थिक उन्नति, सामाजिक जागृति, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक उत्थान आदि का प्रयत्न व प्रयास करना तथा इन कार्यों को साध्य करने के लिये आवश्यक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन अथवा उनके साथ सहयोग करना साथ ही इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पत्र पत्रिकाओं अथवा विविध साहित्य व प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं प्रबन्ध करना।

(ख) समाज के असहाय, अपंग, अस्वस्थ निराश्रितों एवं जरूरतमंद, बच्चों, स्त्रियों एवं युवाओं को सहायता सहयोग देना।

(ग) बेरोजगार युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें उचित रोजगार एवं उपयुक्त कार्य दिलाने में सहयोग देना। सहकारी संस्थाओं एवं उद्योग धंधो को चलाने के लिये प्रेरणा देना एवं सहयोग करना।

(घ) संगठन के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये, समय-समय पर सम्मेलन, वाद विवाद गोष्ठी, सांस्कृतिक समारोह, प्रदर्शनी, खेलकूद, व्यायाम-योग, चल-चित्र नाटक, औद्योगिक भ्रमण, सामूहिक विवाह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, रक्तदान, आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना एवं करवाना।

(ङ) निर्धारित कार्यों एवं योजनाओं के लिये धन संग्रह करना तथा उसका विनियोग करना। चल अथवा अचल सम्पत्ति प्राप्त अथवा धारण करना, इन कार्यों के लिये आवश्यक सभा अथवा न्यास आदि स्थापित करना अथवा सम्पत्ति संबंधी क्रय-विक्रय, ऋण बंधक लीज, आदि के अधिकार ग्रहण करना।

(च) राष्ट्रीय, सामाजिक तथा जनोन्नति के अन्य कार्यो में भाग लेना तथा सहयोग करना।

६. नीति-संगठन में प्रस्तुत होने वाले किसी प्रस्ताव में सामाजिक बहिष्कार की नीति को स्थान नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में कार्यकारी मंडल की बैठक में उपस्थिति के ३/४ से ही 'असहयोग' की घोषणा की जा सकेगी।

७.परिभाषाएँ-इस विधान में दिये गये शब्दों का अर्थ नीचे लिखी परिभाषा के अनुसार माना जाएगा।

(क) 'केन्द्रीय संगठन' शब्द से तात्पर्य अ.भा. माहेश्वरी युवा संगठन से है।

(ख) 'महासभा' शब्द से तात्पर्य 'अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा' से है।

(ग) माहेश्वरी शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो अपने को माहेश्वरी कहते हैं और जिनमें परम्परागत माहेश्वरी जाति की खापें हैं एवं जिन्हें समाज माहेश्वरी मानता है।

(घ) 'कार्यकारी मंडल' शब्द का अर्थ संगठन द्वारा गठित कार्यकारी मंडल से है।

(ङ) 'कार्यसमिति' का अर्थ संगठन द्वारा गठित कार्यसमिति से है।

(च) 'महासभा कार्यसमिति' का अर्थ अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा गठित कार्यसमिति से है।

(छ) अंचल/प्रादेशिक/जिला/नगर/तहसील क्षेत्रों का अर्थ अपने संगठन के लिए महासभा द्वारा निर्धारित भौगौलिक क्षेत्रों से है।

८. **प्रधान कार्यालय**

(क) महामंत्री का कार्यालय युवा संगठन का 'प्रधान कार्यालय' होगा।

(ख) केन्द्रीय संगठन कार्यसमिति के निश्चयानुसार जहां युवा संगठन से संबंधित समस्त अभिलेख प्रपत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री रखी जायेगी तथा जहाँ युवा संगठन द्वारा नियुक्त कर्मचारी होगें वह युवा संगठन का 'केन्द्रीय कार्यालय' होगा।

९. **संगठन का स्वरूप**-संस्था का संगठनात्मक स्वरूप निम्न प्रकार होगा।

(क) कार्यकारी मंडल

(ख) कार्यसमिति

(ग) आंचालिक, प्रादेशिक, जिला, तहसील व नगर संगठन

(घ) माहेश्वरी युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी नाम से सम्बोधित स्थानीय संस्था जैसे माहेश्वरी नवयुवक मण्डल/ परिषद/ क्लब/ सभा/ संघ/मंच/ संगठन आदि।

(ङ) केन्द्रीय संगठन द्वारा स्थापित न्यास, लिमिटेड कम्पनी, सहकारी प्रतिष्ठान, समिति, उपसमिति आदि।

(च) केन्द्रीय संगठन का ''मुखपत्र'' एवं इसका संचालक मंडल (बोर्ड)

१०. सम्बद्धता के नियम

(क) समाज की किसी स्थानीय युवा प्रतिनिधि संस्था को संगठन द्वारा निर्धारित फार्म भरने पर सम्बद्धता प्राप्त हो सकेगी। किसी एक स्थान पर १०० से अधिक माहेश्वरी परिवार होने पर प्रादेशिक व प्रधान कार्यालय की सहमति से संगठन से सम्बन्धित एक से अधिक उप संस्थायें भी हो सकती हैं।

(ख) संबद्धता संबंधी उपनियम बनाने व शुल्क निर्धारित करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा।

(ग) उन्हीं संगठनों-संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी जिनमें सदस्य की आयु १८ से ४० वर्ष की होगी।

११. सदस्यता

(क) सामान्य सदस्य-माहेश्वरी समाज के सर्व सामान्य युवक-युवती जिनकी आयु १८ से ४० वर्ष के बीच में हो संगठन के सामान्य सदस्य माने जायेंगें।

(ख) विशेष सदस्य - १८ से ४० वर्ष की समूह वाले युवक-युवती जो संगठन अथवा उसके अन्तर्गत या संबंधित किसी स्थानीय संस्था के नियमानुसार शुल्क प्रदान करें, वे संगठन के विशेष सदस्य माने जायेंगें।

(ग) सहयोगी सदस्य केन्द्रीय संगठन की कार्यसमिति द्वारा निर्धारित शुल्क देने वाले स्वजन सहयोगी सदस्य माने जायेंगे।

१२. सदस्यता के उपनियम

(क) सामान्यतः संगठन के सभी सदस्यों के अधिकार समान होगें, परन्तु चुनाव अथवा प्रबंध विषयक मामलों में मतदान का अधिकार केवल कार्यकारी मंडल के सदस्यों को ही होगा।

(ख) सदस्यता संबंधी कोई श्रेणी बढ़ाने अथवा इस संबंध में नियम उपनियम बनाने या शुल्क निर्धारण परिवर्तन, परिवर्धन करने का अधिकार कार्यसमिति को ही होगा।

१३. स्थानीय सभाएं

(क) जिस ग्राम, नगर या समीपवर्ती गाँवो में माहेश्वरी परिवार निवास करते हों, वहाँ नियमावली की धारा ६ उपधारा ''घ'' के अनुसार स्थानीय युवा संगठन स्थापित हो सकेंगे।

(ख) प्रत्येक स्थानीय संस्था का कर्तव्य होगा कि अपना विघान एवं अपनी गतिविधियों का वार्षिक लेखा-जोखा वर्ष समाप्ति के ३ माह के भीतर प्रधान कार्यालय को सीधा अथवा अपने यहां के प्रादेशिक संगठन के माध्यम से प्रेषित करें।

१४. तहसील-जिला-प्रादेशिक एवं आंचलिक संगठन

(क) स्थानीय सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रादेशिक एवं केन्द्रीय संगठन की सहमति से, जिला तहसील व नगर संगठनों का गठन हो सकेगा।

(ख) जिला तहसील अथवा नगर संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रादेशिक संगठनों का गठन होगा।

(ग) प्रादेशिक संगठन, केन्द्रीय संगठन से सीधे सम्बन्धित होगें।

(घ) स्थानीय तथा संबंद्ध संस्थायें तहसील, जिला एवं प्रदेश के संगठनों की भी इकाई व शाखा मानी जायेगी। परन्तु अनुशासन के मामले में केन्द्रीय संगठन ही सर्वोपरि होगा।

(ङ) केन्द्रीय संगठन, अपने प्रादेशिक संगठन व अन्य संगठनात्मक अवयवों के लिये आवश्यकतानुसार विधान का प्रारूप बना सकेगा।

१५. प्रादेशिक एवं आंचलिक संगठन

संगठन के कार्य की सुगमता हेतु भौगोलिक रूप से कार्यक्षेत्र का चार अंचलों में विभाजन होगा, यथा पूर्वांचल, उत्तरांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल। इन चार अंचलों का कार्य सुविधा की दृष्टि से २२ प्रदेशों में विभाजित होगा। प्रत्येक प्रदेश में युवा संगठन धारा १४ की उपधारा ख के अन्तर्गत गठित होगा। कार्यकारी मंडल का गठन इन्हीं प्रादेशिक संगठनों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा। कार्यकारी मंडल में विविध अंचल व प्रदेशों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार होगा।

अंचल एवं प्रदेश का पुनः निर्धारण एवं प्रतिनिधि संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार कार्यकारी मंडल का होगा। विदेशों में अस्थायी निवास करने वाले माहेश्वरी अपने से सम्बन्धित प्रादेशिक संगठन के सदस्य बन सकेंगे कार्यकारी मंडल के सदस्यों को स्थानीय सम्बद्ध संगठन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। ये अपनी तहसील तथा जिला सभाओं की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होगे। इसके उपर के संगठन की कार्यकारिणी के निश्चयानुसार उस संगठन की प्रबन्ध-समिति में विशेष आमन्त्रित सदस्य होंगें।

अंचल	प्रदेश	प्रतिनिधि संख्या	योग
१- पूर्वांचल	१. कलकत्ता	१५	
	२. पं.बंगाल	६	
	३. बिहार	७	
	४. उड़ीसा	५	
	५. आसाम एवं निकटवर्ती क्षेत्र	७	
	६. नेपाल, सिकिक्म, मेघालय आदि	५	४५
२- उत्तराचंल	७. पूर्वी उत्तर प्रदेश	७	
	८. मध्य उत्तर प्रदेश	११	
	९. पं० उत्तर प्रदेश	१४	
	१०. दिल्ली	७	
	११. पंजाब २, हरियाणा २,		
	काश्मीर १, हिमांचल १	६	४५
३- पश्चिमाचंल	१२. राजस्थान	२७	
	१३. गुजरात	१०	
	१४. छतीसगढ़	८	
	१५. मध्य मध्य प्रदेश	१२	
	१६. पश्चिम मध्य प्रदेश	८	६५
४- दक्षिणांचल	१७. मुम्बई	८	
	१८. महाराष्ट्र	२०	
	१९. विदर्भ	१४	
	२०. आन्ध्र	१२	
	२१. चेन्नई ३,केरल १, तमिलनाडु १	५	
	२२. कर्नाटक ५, गोवा आदि १	६	६५
	कुल प्रतिनिधि संख्या		**२२०**

१६. मान्यता समाप्त करने का अधिकार

निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने की अवस्था में संबंधित संगठन के असन्तोषजनक स्पष्टीकरण होने पर कार्यकारी मंडल को अधिकार होगा कि वह उस संगठन संस्था को मान्यता रद्द कर दे अथवा भंग कर दे।

१७. तदर्थ समिति का गठन- किसी संगठन या सभा की मान्यता समाप्त होने अथवा त्याग पत्र की अवस्था में कार्य समिति को अधिकार होगा कि वह नये निर्वाचन प्रबन्ध करे और आवश्यकता अनुभव हो तो निर्वावन के समय तक कार्य संचालन के लिये तदर्थ समिति का गठन या मनोनयन करे। जहाँ प्रादेशिक संगठन समिति स्थापित न हो वहाँ भी उनकी स्थापना तक तदर्थ समिति नियुक्त करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा। इस प्रकार से स्थापित तदर्थ समितियों को भी गठित संगठन के कार्य अनुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त इस होंगें।

१८. कार्यकारी मंडल

(क) केन्द्रीय संगठन के कार्य संचालन के लिए अखिल भारतवर्षीय कार्यकारी मंडल होगा प्रत्येक प्रादेशिक संगठन की प्रबन्ध समिति या तदर्थ समिति को अधिकार होगा कि वह सत्र समाप्ति के तीन माह पूर्व प्रदेश के प्रतिनिधियों के नाम प्रधान कार्यालय को भेज देवें। प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय प्रादेशिक संगठन ऐसे जिले या जिला समूहों जहाँ माहेश्वरी परिवार पर्याप्त संख्या में रहतें प्रतिनिधित्व का ध्यान रखेंगें इन प्रतिनिधियों को संगठन का विशेष सदस्य होना आवश्यक होगा। प्रादेशिक संगठन, केन्द्रीय संगठन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अथवा महासभा के प्रादेशिक संगठनों की देखरेख में प्रतिनिधि का चयन करेंगें। जिन प्रदेशों की ओर से निर्धारित समय से नाम प्राप्त न होंगें और तदर्थ समिति का गठन संभव नहीं होगा, उन प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव कार्यसमिति द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी मंडल के सदस्य न्यूनतम निर्धारित कार्य पूरा करने के उत्तरदायी होगें।

(ख) धारा १५ के अनुसार निर्देशित कार्यकारी मंडल के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नांकित बन्धु भी कार्यकारी मंडल के सदस्य होगें।

अ-संगठन के सभी पदाधिकारी।

ब-संगठन के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष, महामंत्री एवं निर्वतमान सत्र के सभी पदाधिकारी।

स-प्रादेशिक संगठन के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा तदर्थ समिति के संयोजक एवं ट्रस्ट के न्यासी।

द-संगठन के अध्यक्ष जी द्वारा मनोनीत १० सदस्य।

ध-४० वर्ष से कम उम्र के सभी माहेश्वरी विधायक, संसद सदस्य, आई. ए. एस., आई.पी.एस. एवं समकक्ष प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त माहेश्वरी युवा जन।

(ग) कार्यकारी मंडल का दायित्व एवं बैठकें

अ-संगठन के उद्देश्यों को अग्रसर करने एवं पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व कार्यकारी मंडल पर होगा। कार्यकारी मंडल को इन कार्यों के सम्बन्ध में विविध योजनायें निर्धारित करने, नियम उपनियम बनाने एवं आवश्यकतानुसार संगठन अथवा समिति उपसमिति की स्थापना करने का अधिकार होगा।

ब-कार्यकारी मंडल के जो सदस्य बिना सूचना दिये लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहेंगें, इनके स्थान कार्यसमिति द्वारा रिक्त घोषित किये जा सकेंगें ।विशेष परिस्थितियों में अग्रिम सूचना प्राप्त होने पर यह धारा प्रभावी नहीं होगी।

स-निधन, अनुपस्थिति अथ्यवा त्यागपत्र के कारण कार्यकारी मंडल के सदस्यों के जो स्थान रिक्त होगें, उनके स्थान पर कार्यसमिति सम्बन्धित प्रादेशिक संगठन के माध्यम से नये सदस्य मनोनीत कर सकेगी।

द-कार्यकारी मंडल की बैठकें कार्य समिति के राय पर अध्यक्ष जी की सहमति से महामंत्री जी द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष जी स्वयं बैठक बुला सकेंगें। एक वर्ष में एक बैठक का होना अनिर्वाय होगा। बैठक के लिए कोरम ३० सदस्यों का होगा जिनमें पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। बैठक की सूचना ३० दिन पूर्व डाक द्वारा प्रमाण पत्र लेकर प्रसारित की जायेगी। जिसमें विचारार्थ विषयों की सूची अंकित होगी। परन्तु अध्यक्ष जी अनुमति से अनय प्रश्नों पर भी विचार हो सकेगा।

य- यदि कार्यकारी मंडल के कम से कम १/५ सदस्य किसी विशेष कार्य के लिए मंडल की बैठकें बुलाने हेतु अध्यक्ष जी को लिखित आवेदन स्थान के निमंत्रण सहित देंगें तो अध्यक्ष जी सूचना मिलने के दो मास के भीतर आवेदन में उल्लिखित विषयों पर विचार करने के लिए कार्यकारी मंडल की बैठकें बुलवायेंगें। यदि अध्यक्ष जी ने उक्त आवेदन पर बैठक नही बुलाई तो आवेदन कर्ता सदसयों को अधिकार होगा कि वे आवेदन की तिथि के ६० दिन के बाद ६० दिन के अंदर ३० दिन की सूचना डाक से प्रमाण पत्र लेकर स्वयं कार्यकारी मंडल की बैठक में आयोजित कर सकेंगें। इस प्रकार आयोजित मंडल की विशेष बैठक में केवल उल्लिखित विषयों पर ही विचार एवं निर्णय किया जा सकेगा।

र- कार्यसमिति द्वारा निर्धारित शुल्क कार्यकारी मंडल सदस्यों को देना अनिर्वाय होगा।

१६- कार्य समिति एवं पदाधिकारियों का चुनाव-

१- संगठन के कार्य को सुगमतापूर्वक चलाने तथा उपस्थित प्रश्नों एवं समस्याओं का शीघ्र निर्णय करने के लिए कार्यकारी मंडल के सदस्यों में से कार्य समिति का गठन किया जायेगा। पदाधिकारियों को मिलाकर कार्य समिति के सदस्यों की कुल संख्या अधिकत्तम ४८ होगी। इसका गठन निम्न प्रकार से होगा।

क- धारा २० के अनुसार पदाधिकारी	१४
ख- प्रदेशों से निर्वाचित प्रतिनिधि	२८
ग- अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	३
घ- निर्वतममान अध्यक्ष एवं महामंत्री	२
ड़- संगठन के ''मुख्यपत्र'' के प्रधान संपादक	१
	४८

२- कार्य समिति में प्रदेशों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा-

पूर्वांचल		पश्चिमांचल	
कलकत्ता, १ बंगाल १	२	राजस्थान	३
बिहार, १ नेपाल १	२	पं० मध्य प्रदेश	१
उड़ीसा	१	गुजरात	१
आसाम तथा निकटवर्ती क्षेत्र	१	छतीसगढ़	१
		मध्य मध्य प्रदेश	२
कुल प्रतिनिधि संख्या	६	**कुल प्रतिनिधि संख्या**	८
उत्तरांचल		**दक्षिणांचल**	
पं० उत्तर प्रदेश	२	मुम्बई	१
पूर्वी उत्तर प्रदेश	१	महाराष्ट्र	२
मध्य उत्तर प्रदेश	१	विदर्भ	२
दिल्ली	१	आन्ध्र	१
पंजाब- हरियाणा एवं		कर्नाटक, गोवा	१
कश्मीर-हिमांचल	१	तमिलनाडु-केरल	१
कुल प्रतिनिधि संख्या	६	**कुल प्रतिनिधि संख्या**	८

उपरोक्त निर्वाचित २८ सदस्य अपने क्षेत्र का कार्यसमिति में प्रतिनिधित्व करेंगें। कार्यसमिति के इन सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेश के कार्यकारी मंडल के सदस्य करेंगें। आवश्यकता हुई तो इसके लिए गुप्त मतदान प्रणाली भी अपनाई जायेगी।

२०. पदाधिकारी-संगठन के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें-

अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-४, महामंत्री-१, अर्थमंत्री-१, सयुक्त मंत्री-४, संगठन मंत्री-१, क्रीड़ा मंत्री-१, सांस्कृतिक मंत्री-१, कुल-१४।

२१. अध्यक्ष का निर्वाचन-विधान की धारा १६ उपधारा-१ के अनुसार वर्तमान कार्यसमिति एवं पदाधिकारी स्वयं में से अधिकतम तीन सदस्य का चयन कर उनके नामों का पैनल महासभा को प्रेषित करेंगें। महासभा कार्यसमिति इनमें से किसी एक को अध्यक्ष मनोनीत घोषित करेगी। इस घोषणा के बाद नये कार्यकारी मंडल की प्रथम बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष को कार्य संचालन के संपूर्ण अधिकार प्राप्त होगें।

२२. पदाधिकारियों का चयन

क-नव-निर्वाचित अध्यक्ष की अनुशंसा पर ''महासभा कार्य समिति'' पदाधिकारियों का निर्वाचन कार्य समिति व कार्यकारी मंडल के सदस्यों में से करेगी। कम से कम ७ पदाधिकारी निर्वाचित २८ कार्यसमिति सदस्यों में से लिया जाना आवश्यक होगा, ४ उपाध्यक्ष एवं सयुक्त मंत्रीयों का अलग-अलग अंचलों से होना अनिर्वाय है।

ख-पदाधिकारियों के निर्वाचन से कार्यसमिति या कार्यकारी मंडल के जो स्थान रिक्त होगें, उसकी पूर्ति सम्बन्धित प्रादेशिक संगठन की कार्यसमिति करेगी।

ग-अहर्ता- पदाधिकारियों के चयन/निर्वाचन हेतु, चुने जाने वाले पदाधिकारियों में निम्न योग्यताओं में से किसी एक का होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष महामंत्री हेतु-केन्द्रीय संगठन के किसी सत्र में राष्ट्रीय पदाधिकारी अथवा सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री रहा होना अनिर्वाय होगा। अन्य पदों हेतु केन्द्रीय संगठन का कार्यसमिति सदस्य या कार्यकारी मंडल सदस्य रहा होना अनिर्वाय होगा।

२३. पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं अधिकार

१.अध्यक्ष-अध्यक्ष जी अधिवेशन, सम्मेलन, कार्यकारी मंडल तथा कार्यसमिति बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और संगठन के समस्त कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों के लिये अध्यक्ष जी विधानानुसार कार्य वितरण कर सकेंगे।

२.उपाध्यक्ष-अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जी सभा की अध्यक्षता करेंगे और संगठन संचालन में अध्यक्ष जी को वांछित सहयोग देंगे तथा अपने अंचल के कार्य को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे।

३.महामंत्री-संगठन कार्यालय के संचालन का उत्तरदायित्व महामंत्री के उपर होगा। महामंत्री सम्मेलन अधिवेशन कार्यसमिति एवं कार्यकारी मंडल की बैठकों की कार्यवाही रखेंगें, कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगें। कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति के निश्चयानुसार संगठन का कार्य करेंगें। संगठन की ओर से पत्र व्यवहार तथा अन्य आवश्यक कार्य करेंगे।

४.संयुक्त मंत्री-संगठन को सुदृढ़ करने एवं महामंत्री को उत्तरदायित्व के निर्वाह में सक्रिय सहयोग देंगें। अध्यक्ष द्वारा कार्य

विभाजन द्वारा सौंपे हुये कार्यों को सम्पन्न करेंगे तथा अपने अंचल के कार्यो को पूरा करवाने की जिम्मेदारी वहन करेंगे।

५.अर्थ मंत्री-कार्यकारी मंडल द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार अर्थ संग्रह की योजना करेंगे, विभिन्न विभागों का हिसाब तैयार करवायेंगे और उसे आडिटर से आडिट करवा कर कार्य समिति एवं कार्यकारी मंडल के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेंगे।

६.संगठन मंत्री-अध्यक्ष, महामंत्री, एवं कार्यसमिति के निर्देशानुसार विविध संगठनात्मक कार्य सम्पादित करेंगें।

७.क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक मंत्री-कार्यसमिति के निर्देशन पर राष्ट्रीय आयोजनों का संयोजन करेंगे एवं प्रादेशिक संगठनों को संबंधित विषयों पर दिशानिर्देश देंगे।

२४. कार्य समिति के सदस्यों का दायित्व

१. महासभा व संगठन के आदेशात्मक एवं नीति नियम प्रस्तावों का पालन करना, सभी सदस्यों का नैतिक दायित्व होगा।

२. कार्यसमिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित शुल्क देना अनिर्वाय होगा।

३. सदस्यों को कार्य विभाजन में प्राप्त कार्य की जिम्मेदारी वहन करनी आवश्यक होगी।

४. कार्य समिति के जो सदस्य बिना सूचना दिये लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहेंगें।

५. सत्र के मध्य में किसी पदाधिकारी या कार्य समिति के सदस्य का स्थान रिक्त होने पर कार्यसमिति को अधिकार होगा कि रिक्त पद की पूर्ति संबंधित क्षेत्र से कर ले। महामंत्री एवं अर्थमंत्री के उपचुनाव में सम्बन्धित क्षेत्र की बाध्यता नहीं होगी।

२५. कार्य समिति की बैठकें एवं कार्यकाल

क-कार्य समिति की बैठक अध्यक्ष जी की सहमति से महामंत्री जी द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष जी स्वयं बैठक बुला सकेंगें। एक वर्ष में दो बैठकों का होना आवश्यक होगा। बैठक के लिए कोरम १० सदस्यों का होगा जिनमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त कम से कम पाँच सदस्य अवश्य होगें। बैठक की सूचना २१ दिन पूर्व डाक द्वारा प्रमाण पत्र लेकर प्रसारित की जायेगी, जिनमें विचारार्थ विषयों की सूची अंकित होगी। अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक में अन्य प्रश्नों पर भी विचार हो सकेगा।

ख-कार्यकारी मंडल के सामान्यतः सब अधिकार कार्यसमिति को प्राप्त होंगें।

ग-साधारणतया कार्यसमिति व कार्यकारी मंडल का कार्यकाल ३ वर्ष अथवा महासभा के कार्यकारी मंडल के सत्र के अनुरूप होगा।

संगठन के कोष, आय व्यय पत्रक तथा हिसाब

१. संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु संगठन खर्चे के लिये कोष का निर्माण कर सकेगा। कोष को कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बैंक में रख जायेगा। बैंक में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के नाम से खाता खोला जायेगा। जिस पर निम्नलिखित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होगें। १. अध्यक्ष २. महामंत्री ३. अर्थमंत्री। इनमें से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से बैंक का खाता चलाया जा सकेगा। स्थान विशेष के बैंक के खाते की जिम्मेदारी वहाँ निवास करने वाले पदाधिकारी की होगी। संगठन के हिसाब का परिक्षण के लिये कार्य समिति ऑडीटर की नियुक्ति करेगा।

२. स्थायी कोष के लिये प्राप्त धन स्थायी निधि के तौर पर कार्यकारी मंडल के निश्चयानुसार जमा किया जायेगा और उसकी ब्याज की आय, खर्च की जा सकेगी। कार्यकारी मंडल की अनुमति से ही विशेष परिस्थिति में स्थायी कोष में से जमा राशि खर्च की जा सकेगी।

३. कार्यकारी मंडल की बैठक में वार्षिक अनुमानित आय-व्यय पत्रक एवं पूर्व वर्ष का ऑडिट किया हुआ हिसाब ६ महीने के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। संगठन के कोई भी पदाधिकारी १००० रू. से अधिक राशि कार्य समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पास नगद न रख सकेंगें। संगठन के रोकड़ खाते, चैक बुक एवं रसीद बुकें संभाल कर रखने व उनमें आवश्यक एन्ट्री करते रहने की संयुक्त जिम्मेदारी अर्थमंत्री और महामंत्री की होगी।

अनुदान-कार्यसमिति प्रादेशिक सभाओं को वार्षिक आय में से यथा आवश्यकतानुसार अनुदान दे सकेगी अथवा प्रादेशिक सभा की आय का निर्धारित अंश केन्द्रीय खर्च के लिए प्राप्त करने की व्यवस्था अपना सकेगी। संगठन अन्य संगठनात्मक अवयवों से समान उद्देश्य अनुकूल कार्यो के लिये आवश्यकतानुसार अनुदान दे/ले सकेंगें।

२६. मतदान

क- कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति के निर्णय सर्वसम्मत या बहुमत द्वारा होंगें। सामान्यतः मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। उपस्थित सदस्यों के ३० प्रतिशत की मांग पर गुप्त मतदान प्रणाली अपनायी जायेगी। समान मतों की अवस्था में अध्यक्ष जी को अपना विशेष मत देने का अधिकार होगा।

ख- विधान संशोधन- विधान संशोधन करने का अधिकार कार्यकारी मंडल को होगा। उपस्थित सदस्यों के ६० प्रतिशत से ही विधान में संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त बैठक में कार्यकारी मंडल के ३० प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। ३० प्रतिशत की गिनती करते समय अनुपस्थिति सदस्यों की संशोधन हेतु प्राप्त लिखित स्वीकृति भी गिनी जायेगी।

ग- मतदान/निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार उन्हीं सदस्यों को होगा जिनका सदस्यता शुल्क जमा होगा।

२७. उपनियम

१. कार्यकारी मंडल को अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार विधान के पूरक उपनियम बनायें। २. उपसमितियों के कार्य के संबंध में कार्यसमिति नियम बना सकेगी। ३. चुनाव संबंधी नियम बनाने का अधिकार कार्यसमिति को होगा। ४. यह संशोधित विधान २६ दिसम्बर १९९८ से लागू माना जायेगा। चुनाव संबंधी नियम आगामी सत्र के समय लागू होंगे। ५. संगठन को अपनी हर बैठक की रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करनी होगी। ६. महासभा कार्यकारी मंडल हेतु संगठन के प्रतिनिधियों का चयन कार्य समिति द्वारा किया जायेगा। ७. चुनाव अधिकारी- कार्यसमिति नये सत्र के प्रादेशिक संगठनों के चुनाव हेतु एक मुख्य चुनाव अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा। चुनाव अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अगले सत्र हेतु समस्त प्रादेशिक संगठनों से पत्राचार/सम्पर्क कर पर्यवेक्षकों के माध्यम से चुनाव कराये व केन्द्रीय संगठन के आगामी चुनावों हेतु दिशा निर्देश दें व विधानानुसार चुनाव पूर्ण कराये।

२८. स्थगित बैठक-कार्यकारी मंडल, कार्यसमिति आदि की निर्धारित बैठक में निश्चित समय पर यदि कोरम पूरा न हुआ तो वह सभा स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित बैठक पुनः बुलाने की सूचना सब सदस्यों को नियमानुसार दी जायेगी। स्थगित बैठक पुनः होने पर उसके लिये कोरम का प्रतिबन्ध न होगा। उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति पर स्थगित बैठक उसी दिन ही पुनः हो सकेगी। किन्तु इसमें महत्वपूर्ण विषय पर विचार न होगा।

२९. आर्थिक वर्ष-संगठन का आर्थिक वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक माना जायेगा।

३०. पारिश्रमिक-संगठन के कार्य के लिये विशेष सेवायें प्राप्त होने पर प्रधान कार्यालय से पूर्व अनुमति लिये जाने पर किसी कार्यकर्ता को पारिश्रमिक दिया जा सकेगा। संगठन के कार्य से जो पदाधिकारी/कार्यसमिति या कार्यकारी मंडल द्वारा गठित समितियों के सदस्य भ्रमण करेंगे, उन्हें वास्तविक मार्ग व्यय दिया जा सकेगा।

३१. अनुशासनात्मक कार्यवाही-संगठन के उद्देश्य, प्रस्ताव अथवा नियम का उल्लंघन एवं अवहेलना करने की अवस्था में कार्यसमिति द्वारा किसी कार्य समिति एवं कार्यकारी मंडल के सदस्य की सदस्यता स्थगित अथवा निलंबित की जा सकेगी। इस प्रकार की कार्यवाही के पूर्व उस सदस्य का स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। संबंधित सदस्य चाहे तो वह कार्यसमिति के निर्णय के विरोध में कार्यकारी मंडल को अपील कर सकेगा। उस स्थिति में कार्यकारी मंडल का निर्णय अंतिम होगा। अनुशासन भंग की विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष किसी सदस्य की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित अथवा निरस्त कर सकेंगे। इस हेतु कार्यसमिति की स्वीकृति आगामी बैठक में लेनी होगी।

३२. कानूनी कार्यवाही-संगठन के कोष में, सम्पत्ति अथवा हिसाब किताब के संबंध में आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही महामंत्री के नाम से की जायेगी। और इस संबंध में उन्हें योग्य अधिकार प्राप्त होगें।

३३. मध्यस्थ की नियुक्ति-कोई विवाद उपस्थित होने पर आवश्यक समझे तो कार्यसमिति निर्णय के लिये मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगी। सम्बद्धता प्राप्त किसी संस्था या सदस्य के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही के पूर्व इस नियम का पालन अनिर्वाय होगा।

३४. भाषा-संगठन की भाषा देवनागरी लिपी में हिन्दी में होगी।

३५. विसर्जन-संगठन का वियर्जन करने के लिये यदि कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तो उस पर विचार करने के लिये कार्यकारी मंडल की विशेष बैठक महासभा की अनुमति से बुलाई जायेगी। यदि उपस्थित सदस्यों के ७५ प्रतिशत् बहुमत द्वारा विसर्जन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो उसे क्रियान्वित किया जायेगा। विसर्जन की दशा में संगठन की समस्त सम्पत्ति अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा को सौंप दी जायेगी। किसी भी स्थिति में संगठन की सम्पत्ति का वितरण व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जायेगा।